निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 23 / 2024
दायरा दिनांकः–26.06.2024
निर्णय दिनांकः– 24.6.25

उनवान

1. लेखराज आयु 22 वर्ष पुत्र श्यामलाल जाति मीना निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 24.6.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भंवर सिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 82 की खसरा संख्या 277 की रकबा 1. 2899 है०, भूमि वाके माल बमोरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) मे स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/32 दर्ज रिकार्ड जमाबंदी चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के अपने हिस्से पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता श्यामलाल का फौती इन्तकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से इन्तकाल मे प्रार्थी का नाम लेखराज के स्थान पर घर मे बोलता नाम हेमराज दर्ज हो गया था जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम लेखराज है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर हेमराज के स्थान पर लेखराज किया जाना आवश्यक है। जो अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड पहचान पत्र, जन आधार कार्ड सभी मे प्रार्थी का नाम लेखराज दर्ज है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत हेमराज दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। 6. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के खाते पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर तारफैन्सिग कर, भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहता है परन्तु जो प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे नाम दुरस्तीकरण किये बिना संभव नही है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 82 पेश की गई। फोटो प्रति पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/32 दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है प्रार्थी के पिता श्यामलाल का फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से इन्तकाल में प्रार्थी का नाम लेखराज के स्थान पर हेमराज दर्ज हो गया। हेमराज घर में बोलता नाम है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम लेखराज है हेमराज के स्थान पर लेखराज किया जाना आवश्यक है प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात में लेखराज दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में हेमराज दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले सभी लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम हेमराज के स्थान पर लेखराज दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बमोरा के खातेदार कृषक हेमराज पुत्र श्यामलाल मीणा के वास्तविक नाम बाबत् जानकारी की गई। ग्राम बावडीखेडा के ग्राम वासियों के अनुसार ग्राम में हेमराज पुत्र श्यामलाल जाति मीणा नमक कोई व्यक्ति ना तो है और ना ही पूर्व था। हेमराज, लेखराज का ही अन्य नाम है परिजनों के नाम के अनुसार हेमराज व लेखराज पुत्र श्यामलाल एक ही व्यक्ति है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 82 के अनुसार प्रार्थी का नाम हेमराज पुत्र श्यामलाल हिस्सा 1/32 दर्ज है प्रार्थी के फोटो पहचान पत्र परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम लेखराज दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम लेखराज दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत नाम हेमराज दर्ज है जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का नाम हेमराज के स्थान पर लेखराज दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: <u>क्रियात्मक आदेश</u> ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 277 रकबा 1.2899 है0 में प्रार्थी का नाम हेमराज के स्थान पर हेमराज उर्फ लेखराज दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा